"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2009—फाल्गुन 15, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2009

क्रमांक ई-1-16/2004/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/6/2008-एआईएस (I), दिनांक 20-10-2008 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-5 (2) के अंतर्गत डॉ. एस. के. राजू, भा. प्र. से. (RR:1998) को छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से पंजाब राज्य संवर्ग आवंटित होने के फलस्वरूप, उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य को सौंपी जाती है.

2. चूंकि डॉ. राजू वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं. अत: वे प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर सीधे पंजाब राज्य संवर्ग में अपनी उपस्थिति देंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से. (1977), सचिव, सहकारिता विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, ग्रामोद्योग एवं तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है

2. श्री विवेक कुमार ढॉड, भा. प्र. से. (1981), प्रमुख सचिव, जल संसाधन, ऊर्जा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को केवल प्रमुख सचिव, जल संसाधन, ऊर्जा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री डी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. (1982), प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना विभाग, प्रमुख सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री अजय सिंह, भा. प्र. से. (1983), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आबकारी आयुक्त, पदेन प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (केवल आबकारी तथा पंजीयन) एवं प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री एम. के. राउत, भा. प्र. से. (1984), प्रमुख सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को केवल आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

6. श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985), सचिव, जनसम्पर्क विभाग एवं आयुक्त जनसम्पर्क तथा सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

7. श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से. (1987), आयुक्त-सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से. (1987), विकास आयुक्त सह सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र. से., (1988), सचिव, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य एवं समाज कल्याण विभाग को केवल समाज कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

10. श्रीमती रेणुजी पिल्ले, भा. प्र. से. (1991), सचिव, ग्रामोद्योग विभाग एवं संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें आयुक्त, रोजगार गारण्टी योजना, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

11. श्री दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा. प्र. से. (1991), सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

12. श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से. (1992), आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री बेहार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से. (1990), सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

13. श्री दिनेश श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1992), प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित को केवल प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

14. डॉ. बी. एस. अनन्त, भा. प्र. से. (1993), आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण तथा नियंत्रक, नापतौल एवं सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

15. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा. प्र. से. (1994), आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

16. श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. (1994), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें आयुक्त आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग एवं प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

17. श्री बी. एल. तिवारी, भा. प्र. से. (1996) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग की सेवाएं सहकारिता विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

श्री बी. एल. तिवारी, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

18. श्री पी. रमेश कुमार, भा. प्र. से. (डब्ल्यु. बी. 1986), आयुक्त सह सचिव, उच्च शिक्षा, वाणिज्यिक तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को केवल सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त, उद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 27 जनवरी, 2009 से 3 फरवरी, 2009 तक (08 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 24, 25 एवं 26 जनवरी, 09 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 1-12/2006/42.—राज्य शासन द्वारा, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किए गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ. ग. तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) प्रथम श्रेणी में विभागाध्यक्ष के पद पर वेतनमान रुपये 12000-420-18300 (ए. आई. सी. टी. ई. वेतनमान) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	लो. से. आ. का प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित विभागाध्यक्ष का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01	श्री शिवशंकर लाल पटेल	मैकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
2.	02	श्री अमिताभ दुबे	मैकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
3.	03	श्री मुकेश कुमार सिंह	मैकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
4.	01	श्री राजेन्द्र कुमार गवेल	सिविल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
5.	01	श्रीमती ममता अग्रवाल	कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
6.	02	श्री अश्विनी कुमार खैरवार	कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
7.	01	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग

क्रमांक एफ 1-12/2006/42.—राज्य शासन द्वारा, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किए गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ. ग. तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) प्रथम श्रेणी में रीडर (प्रवाचक) के पद पर वेतनमान रुपये 12000-420-18300 (ए. आई. सी. टी. ई. वेतनमान) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	लो. से. आ. का प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित रीडर (प्रवाचक) का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01	श्री नवीन प्रकाश सिंह	इलेक्ट्रिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
2.	01	सुश्री रितु तिवारी	इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन.	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
3.	01	श्री हिमांशु अग्रवाल	मैकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
4.	02	श्री गजेन्द्र कुमार अग्रवाल	मैकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यायल, बिलासपुर
5.	03	श्री मुकेश कुमार सिंह	मैकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1988 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) सेवा भर्ती नियम 2005 तथा छ. ग. तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) सेवा भर्ती नियम 2005 के नियम 19 (3) के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी.

(च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मण्डल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(ज) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक माह के भीतर उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. परिसर, रायपुर से जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित कर उपलब्ध कराना होगा. अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण-पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत् सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(ञ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. श्री मुकेश कुमार सिंह का चयन विभागाध्यक्ष (मैकेनिकल) एवं रीडर (मैकेनिकल) पद हेतु हुआ है, अत: किसी एक पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने पर दूसरे पद का नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा.

4. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक/एफ-33/2006/25-2/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक/1799/33/25-2/आजाकवि/2006 दिनांक 6 मार्च, 2006 को अतिष्ठित करते हुए इस समिति अधिनियम, 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते

हुए छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का गठन कर निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करता है :—

क्र.	नाम	पद
1.	मान. श्रीमती मोहसिना किदवई राज्य सभा सदस्य, 80 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
2.	मान. मो. अकबर, विधायक, पंडरिया	सदस्य
3.	मान. श्री बदरूद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई नगर	सदस्य
4.	श्री हामिद सिद्दीकी, पार्षद, महावीर स्वामी वार्ड, कवर्धा	सदस्य
5.	मो. अकरम खान रजवी, गांधी चौक, गोबरा, नवापारा, राजिम	सदस्य
6.	मो. फिरोज खान, मोमिनपारा, अंबिकापुर, सरगुजा	सदस्य
7.	कारी व हाफिज मो. जलालुद्दीन रजवी, 93-सी, रेल्वे कालोनी, दल्लीराजहरा	सदस्य
8.	कारी श्री बशीरुल कादरी रजवी मोहतमिम, जगदलपुर	सदस्य
9.	मो. मूशा बाकर अली, मोमिनपारा, रायपुर	सदस्य
10.	डॉ. सलीम राज, ई-485, समता कालोनी, रायपुर	सदस्य
11.	श्री शेख फकीरा, सचिव, दरगाह कमेटी तालापारा, बुखारी पेट्रोल पंप के पास, लिंक रोड, बिलासपुर	सदस्य
12.	मो. युनुस कुरैशी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज, के. के. रोड, रायपुर	सदस्य
13.	मो. जियाऊद्दीन, मेम्बर, मोती मस्जिद कमेटी, तुलसीपारा, वार्ड नं. 16, राजनांदगांव	सदस्य
14.	श्री हमीद अहमद शाह, सचिव, मस्जिद दरगाह कमेटी, एकता नगर, भिलाई-3	सदस्य
15.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड	पदेन सदस्य
16.	कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी	पदेन सदस्य

2. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़ कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा.

3. यह अधिसूचना दिनांक 15 मार्च, 2009 से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम, 1972 का सं. 53) की धारा 38-V की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राष्ट्रीय टायगर संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, की अनुशंसा पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को "अचानकमार टायगर रिजर्व" अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

जिला	-	बिलासपुर
मंडल	-	बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल
तहसील	-	लोरमी, कोटा एवं गौरेला
अभ्यारण्य/परिक्षेत्र	-	अचानकमार अभ्यारण्य, बिलासपुर वनमंडल की खुडिया एवं लोरमी परिक्षेत्र तथा मरवाही वनमंडल की गौरेला, लमनी एवं बेलगहना परिक्षेत्र.

2. टायगर रिजर्व का नाम - अचानकमार टायगर रिजर्व

3. क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी. में) –

स. क्र.	क्षेत्र का प्रकार	आरक्षित वन (वर्ग कि. मी.)	संरक्षित वन (वर्ग कि. मी.)	कुल वन क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोर एरिया (Critical Tiger Habitat)	626.195	–	626.195
2.	बफर एरिया	248.902	38.920	287.822
	कुल	**875.097**	**38.920**	**914.017**

4. अचानकमार टायगर रिजर्व, कोर एरिया (Critical Tiger Habitat) की सीमायें :–

उत्तर – जिला बिलासपुर तथा मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले की उभयनिष्ठ सीमा एवं लमनी परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 297, 293, 275, 276, 277 व 278 की दक्षिणी सीमा एवं बिलासपुर तथा मरवाही वन मंडल के संरक्षित वनखंड कक्ष क्र. 1214 तथा 1213 की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व – बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल की उभयनिष्ठ सीमा.

दक्षिण – आरक्षित वन कक्ष क्र. 184, 185, 186, 161, 162 एवं 143, 142, 125, 104, 103, 93, 94, 100, 99, 98, 110, 111, 112, 549, 553, 554, 546, 544, 537, 526, 525, 501 की उत्तरी सीमा एवं खुड़िया टेंक की उत्तरी सीमा जो आरक्षित वन कक्ष क्र. 453, 452 के उभयनिष्ठ सीमा तक विस्तारित है.

पश्चिम – देवसरा अग्नि रेखा जो उत्तर की ओर बिन्दरीनाला तक जाती है और वहीं से वनग्राम बोईरहा की दक्षिण सीमा के साथ आरक्षित वन कक्ष क्र. 392 की दक्षिणी सीमा तक, फिर खुड़िया और लमनी (अभ्यारण्य) उभयनिष्ठ परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा के साथ-साथ बिलासपुर और डिन्डौरी जिले की सीमा तक. यह पूरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 453, 454, 430, 392 और 393 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ है.

5. अचानकमार टायगर रिजर्व, बफर एरिया की सीमायें :–

उत्तर – जिला बिलासपुर तथा मध्यप्रदेश के डिंडोरी उभयनिष्ठ सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 407 एवं 416 के उभयनिष्ठ बिन्दु से आरक्षित वन कक्ष क्र. 259 की दक्षिणी सीमा लमनी परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्र. 260, 265 एवं 266 की पश्चिमी सीमा एवं गौरेला परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्र. 1215, 1214, 1213, 1218 एवं 1220 की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व – गौरेला परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्र. 1205, 1207 एवं 1153 की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् संरक्षित वन कक्ष क्र. 1135, 1139, 1141, 1150, 1151 की पश्चिमी सीमा संरक्षित वन कक्ष क्र. 1159 की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा बेलगहना परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्र. 1163 की दक्षिणी सीमा एवं ग्राम सरगोड़ एवं परसापानी की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 172 की पूर्वी सीमा तक बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल की उभयनिष्ठ सीमा.

दक्षिण – लोरमी परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्र. 172 की पश्चिमी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 168, 173, 174, 166, 165, 164, 163, 143 की उत्तरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 142, 125, 104 की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् आरक्षित वन कक्ष क्र. 103, 93, 94, 96 एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 1537 की उत्तरी सीमा, ग्राम राम्हेपुर की पूर्वी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 550 की उत्तरी सीमा, ग्राम [illegible]या-बरगन की उत्तरी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्र. 1535, 1534 की उत्तरी सीमा, ग्राम गुनापुर की उत्तरी सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्र. 1533 एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 556, संरक्षित वन 1529 एवं आरक्षित वन 534, 537, 532, 499 की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 499 तथा 530 की पूर्वी सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 502 के मिलन बिन्दु तक मनियारी जलाशय की पूर्वी सीमा.

पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. 502 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर मिलन बिन्दु 474 तक मनियारी जलाशय की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 474 एवं वन ग्राम बिजराकछार की उत्तरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 475, 476, 469, 463 सलगी ग्राम आरक्षित वन कक्ष क्र. 424, 421, 420 औरापानी वन ग्राम एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 416 की पूर्वी सीमा, जो जिला डिण्डौरी एवं बिलासपुर की उभयनिष्ठ सीमा में मिलती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2 दिनांक 20-02-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 20th February 2009

No. F 8-43/2007/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (4) of Section 38-V of Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972) and on the recommendation on National Tiger Conservation Authority, Government of India, the State Government hereby notifies the area specified in the schedule below as "Achanakmar Tiger Reserve":—

SCHEDULE

District - Bilaspur
Division - Bilaspur and Marwahi Forest Division
Tehsil - Lormi, Kota and Gaurella
Sanctuary/Range - Achanakmar sanctuary, Khudia and Lormi range of Bilaspur Forest Division and Gaurella, Lamani and Belgahna Range of Marwahi Forest Division.

2. Name of Tiger Reserve - Achanakmar Tiger Reserve

3. Area (in Sq. Kms.) -

Sr. No.	Area	Reserve Forest (Sq. Kms.)	Protected Forest (Sq. Kms.)	Total Forest Area (Sq. Kms.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Core Area (Critical Tiger Habitat)	626.195	-	626.195
2.	Buffer Area	248.902	38.920	287.822
	Total	**875.097**	**38.920**	**914.017**

4. Boundaries of Achanakmar Tiger Reserve Core Area (Critical Tiger Habitat)

North - Common boundary of Bilaspur and Dindori district of Madhya Pradesh, southern boundary of RF compt. No. 297, 293, 275, 276, 277, 278 of Lamni range, common boundary of Bilaspur and Marwahi Forest division and southern boundary of PF compt. No. 1214 & 1213.

East - Common Boundary of Bilaspur and Marwahi Forest division.

South - Northern boundary of reserve forest compt. No. 184, 185, 186, 161, 162 & 143, 142, 125, 104, 103, 93, 94, 100, 99, 98, 110, 111, 112, 549, 553, 554, 546, 544, 537, 526, 525, 501 and northern boundary of Khudia Tank up to common boundary of R. F. compt. No. 453 & 452.

West - Devsara Fire line which runs North wards up to Bindrinala on the Southern boundary of Forest village Boirha then along the southern boundary of R F compt. No. 392, common range boundary of Khudia and Lamni (Sanctuary) along with common boundary of Bilaspur and Dinodori Districts. Which is also the eastern boundary of RF compt. No. 453, 454, 430, 392, 393.

5. Boundaries of Achanakmar Tiger Reserve, Buffer Area

North - Common boundary of Bilaspur and Dindori district of Madhya Pradesh, common point of RF compt. No. 407 and 416 to southern boundary of RF compt. No. 259 and western boundary of RF compt. 260, 265, 266 of Lamni range & southern boundary of PF compt. No. 1215, 1214, 1213, 1218 & 1220 of Gaurella range.

East - Western boundary of the PF compt. No. 1205, 1207 & 1133 of Gaurella range, western boandary of PF compt. No. 1135, 1139, 1141, 1150, 1151, South-west boundary of P F compt. No. 1159, southern boundary of PF compt. No. 1163 of Belgahana range, western boundary of village Sargod and Paraspani and common boundary of Bilaspur and Marwahi forest division up to eastern boundary of compt. No. 172.

South - Western boundary of RF compt. No. 172 of Lormi range, northern boundary of RF compt. No. 168, 173, 174, 166, 165, 164, 163, 143, western boundary of RF compt. No. 142, 125, 104, then northern boundary of RF compt. No. 103, 93, 94, 96 and PF compt. No. 1537, eastern boundary of village Ramhepur, northern boundary of PF compt. No. 550, northern boundary of village Aghariya Bargaon, northern boundary of RF compt. No. 1535, 1534, northern boundary of village Gunapur, northern boundary of PF compt. No. 1533 RF 536 PF 1529 RF 534, 537, 532, 499, eastern boundary of RF compt. No. 499 and 530 and eastern boundary of Maniyori Tank up to meeting point of RF compt. No. 502.

West - Northern boundary of Maniyari Tank that starts from meeting point of RF compt. No. 502, to meeting point of 474, northern boundary of RF compt. No. 474, and forest village Bijrakachhar, eastern boundary of RF compt. No. 475, 476, 469, 463 village Salgi, RF compt. No. 424, 421, 420 forest village Aurapani and RF compt. No. 416 which meets the common boundary of Bilaspur and Dindori districts.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHLENDRA SINGH, Secretary.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम, 1972 का सं. 53) की धारा 38-V की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राष्ट्रीय टायगर संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, की अनुशंसा पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को "उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व" अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

जिला - रायपुर एवं धमतरी

मंडल - उदन्ती, पूर्व रायपुर एवं धमतरी वनमंडल

तहसील - मैनपुर, गरियाबंद एवं नगरी

परिक्षेत्र - उदन्ती एवं सीतानंदी अभ्यारण्य, पूर्व रायपुर वनमंडल के धवलपुर परिक्षेत्र, उदन्ती वनमंडल के कुल्हाड़ीघाट, मैनपुर, तौरेंगा, इंदागांव परिक्षेत्र एवं धमतरी वनमंडल के सांकरा परिक्षेत्र.

2. टायगर रिजर्व का नाम - उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व

3. क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी. में) -

स. क्र.	क्षेत्र का प्रकार	आरक्षित वन (वर्ग कि. मी.)	संरक्षित वन (वर्ग कि. मी.)	राजस्व क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)	कुल क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोर एरिया (Critical Tiger Habitat)-1, उदन्ती	98.47	137.03	40.27	275.77
	कोर एरिया (Critical Tiger Habitat)-2, सीतानदी	567.42	-	7.90	575.32
	योग कोर क्षेत्र	**665.89**	**137.03**	**48.17**	**851.09**
2.	बफर क्षेत्र	221.41	595.88	174.16	991.45
	योग बफर क्षेत्र	**221.41**	**595.88**	**174.16**	**991.45**
	टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्र	**887.30**	**732.91**	**222.33**	**1842.54**

4. उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, कोर एरिया की सीमायें :—

कोर एरिया - 1, उदन्ती

उत्तर - उदन्ती अभ्यारण्य एवं तौरेंगा, कुल्हाड़ीघाट परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा.

पूर्व - छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की उभयनिष्ठ सीमा.

दक्षिण - उदन्ती अभ्यारण्य एवं इंदागांव परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा.

पश्चिम - उदन्ती अभ्यारण्य एवं तौरेंगा परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा.

कोर एरिया - 2, सीतानदी

उत्तर - सीतानदी अभ्यारण्य एवं बिरगुड़ी तथा सांकरा परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा.

पूर्व - सोंढूर नदी एवं कक्ष क्र. 410 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 410 एवं 411 की पूर्वी सीमा.

दक्षिण - उदंती वन मंडल की तौरेंगा परिक्षेत्र एवं उड़ीसा राज्य की उभयनिष्ठ सीमा कक्ष क्र. 258 की दक्षिणी, पश्चिमी सीमा एवं कक्ष क्र. 259, 263 एवं 264 की दक्षिणी सीमा.

पश्चिम - कांकेर जिला की सीमा एवं कक्ष क्र. 324 की पश्चिमी सीमा.

5. उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, बफर एरिया :—

उत्तर - सीतानदी अभ्यारण्य की उत्तरी सीमा सोंढूर नदी तक, धमतरी वनमंडल के सांकरा परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 383 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 383, 384, 385, 386, 387, 388 एवं 389 की पूर्वी सीमा, उदंती वनमंडल के मैनपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 1068 एवं 1077 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 1070, 1074, 1029, 1075 की पूर्वी सीमा, तौरेंगा परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 1111, 1110, 1107, 1108, 1106 की उत्तरी सीमा, तौरेंगा राजस्व ग्राम की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 1103, 1092, 1089 एवं डूमरघाट राजस्व ग्राम की पश्चिमी सीमा, मैनपुर परिक्षेत्र के कक्ष

क्र. 1079 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 1079, 1080, 1038, 1037, 1036 की उत्तरी सीमा, कुल्हाड़ीघाट परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 923, 922, 921, 929, 930 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 933, 918, 894, 896, 899, 897 की पश्चिमी सीमा, धवलपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 877, 876, 842, 815, 789, 790, 780, 781 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 781 एवं 782 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 782, 783 एवं 786 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 824 की उत्तरी सीमा.

पूर्व -- छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की अन्तर्राज्यीय सीमा, बनवापारा राजस्व ग्राम तक, इंदागांव परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 1242, 1243, 1245 एवं 1244 की पूर्वी सीमा.

दक्षिण - राजस्व ग्राम सिहारलटी, केन्दूपाली, फरसरा, डूमरघाट की उत्तरी सीमा राजस्व ग्राम काण्डसर की उत्तर एवं पश्चिमी सीमा, राजस्व ग्राम दनोरा की उत्तरी सीमा, राजस्व ग्राम पीपलखुटा की उत्तर-पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 1277, 1279, 1280, 1282 की दक्षिणी सीमा तथा उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य की उभयनिष्ठ सीमा.

पश्चिम - कांकेर जिला की सीमा एवं सीतानदी अभ्यारण्य की कक्ष क्र. 324 की पश्चिमी सीमा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2 दिनांक 20-02-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 20th February 2009

No. F 8-43/2007/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (4) of Section 38-V of Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972) and on the recommendation on National Tiger Conservation Authority, Government of India, the State Government hereby notifies the area specified in the schedule below as "Udanti-Sitanadi Tiger Reserve":—

SCHEDULE

District	-	Raipur & Dhamtari
Division	-	Udanti, East Raipur & Dhamtari Division
Tehsil	-	Mainpur, Gariaband & Nagri
Ranges	-	Udanti and Sitanadi Sanctuary, Dhawalpur Range of East Raipur Forest Division, Kulhadighat, Mainpur Taurenga and Indagaon Ranges of Udanti Forest Division and Sankra Range of Dhamtari Forest Division.

2. Name of Tiger Reserve - Udanti-Sitanadi Tiger Reserve

3. Area (in Sq. Kms.) -

Sr. No. (1)	Area (2)	Reserve Forest (Sq. Kms.) (3)	Protected Forest (Sq. Kms.) (4)	Revenue Area (Sq. Kms.) (5)	Total Area (Sq. Kms.) (6)
1.	Core Area (Critical Tiger Habitat)- 1, Udanti	98.47	137.03	40.27	275.77
	Core Area (Critical Tiger Habitat)- 2, Sitanadi	567.42	-	7.90	575.32
	Total Core Area	**665.89**	**137.03**	**48.17**	**851.09**
	Buffer Area	221.41	595.88	174.16	991.45
	Total Buffer Area	**221.41**	**595.88**	**174.16**	**991.45**
	Total area of Tiger Reserve	**887.30**	**732.91**	**222.33**	**1842.54**

4. Boundaries of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve Core Area :—

Core Area — 1, Udanti

North - Common boundary of Udanti Sanctuary and Tourenga, Kulhadighat range.

East - Common boundary of Chhattisgarh and Orissa State.

South - Common boundary of Udanti Sanctuary and Indagaon range.

West - Common boundary of Udanti Sanctuary and Tourenga range.

Core Area — 2, Sitanadi

North - Common boundary of Sitanadi Sanctuary and Birgudi Sankara range.

East - Sondur river, north boundary of compartment number 410, east boundary of compartment number 410 and 411.

South - Common boundary of Tourenga range of Udanti division and Orissa State, south-western boundary of compt. No. 258 and Southern boundary of compt. No. 259, 263 and 264.

West - Boundary of Kanker district and Wastern boundary of compt. No. 324.

5. Udanti-Sitanadi Tiger Reserve Buffer Area :—

North - Northern bounary of Sitanadi Sanctuary up to Sondur river, northern boundary of compt. No. 383 of Sankara range of Dhamtari Forest division, eastern boundary of compt. No. 383, 384, 385, 386, 387, 388 and 389, northern bounary of compt. No. 1068, 1077 of Mainpur range of Udanti forest division, eastern boundry of compt. No. 1070, 1074, 1029, 1075 of Mainpur range, northern boundary of compt. No. 1111, 1110, 1107, 1108, 1106 of Tourenga range, western boundary of Tourenga revenue village, western boundary of Compt. No. 1103, 1092, 1089 and Dumarghat revenue village, western boundary of compt. No. 1079 of Mainpur range, northern boundary of compt. No. 1079, 1080, 1038, 1037, 1036 northern boundary of compt. of 923, 922, 921, 929, 930 of Kulhadighat range, western boundary of compt. No. 933, 918, 894, 896, 899, 897, western boundary of compt. No. 877, 876, 842, 815, 789, 790, 780, 781 of Dhawalpur range, northern boundary of compt. No. 781 and 782, eastern boundary of compt. No. 782, 783 and 786, northern boundary of compt. No. 824.

East - Inter-state boundary of Chhattisgarh and Orissa state up to revenue village Banwapara, eastern boundary of compt. No. 1242, 1243, 1245, 1244 of Indagaon range.

South - Northern boundary of revenue village Siharlati, Kandupali, Pharsara, Dumarghat, norh and western boundary of revenue village Kandsar, northern boundary of revenue village Danora, north-eastern and western boundary of revenue viliage Pipalkhuta, southern boundary of compartment No. 1277, 1279, 1280, 1282 and common boundary of Chhattisgarh and Orissa State.

West - Boundary of Kanker district and wastern boundary of compt. No. 324 of Sitanadi Sanctuary.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHLENDRA SINGH, Secretary.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम, 1972 का सं. 53) की धारा 38-V की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राष्ट्रीय टायगर संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, की अनुशंसा पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को "इन्द्रावती टायगर रिजर्व" अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

जिला - बीजापुर
राष्ट्रीय उद्यान/मंडल - इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर
तहसील - बीजापुर
राष्ट्रीय उद्यान/परिक्षेत्र - इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर वनमंडल के बीजापुर, भैरमगढ़, मद्देड़, भोपालपटनम परिक्षेत्र

2. टायगर रिजर्व का नाम - इन्द्रावती टायगर रिजर्व

3. क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी. में) -

स. क्र.	क्षेत्र का प्रकार	आरक्षित वन	संरक्षित वन	असीमांकित संरक्षित वन	कुल वन क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	कुलक्षेत्र
		(वर्ग कि. मी. में)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कोर एरिया (Critical Tiger Habitat)	261.50	728.69	203.71	1193.90	64.47	1258.37
2.	बफर एरिया	639.33	221.26	577.67	1438.26	102.44	1540.70
	कुल	**900.83**	**949.95**	**781.38**	**2632.16**	**166.91**	**2799.07**

4. इन्द्रावती टायगर रिजर्व, कोर एरिया की सीमायें :—

उत्तर - इन्द्रावती नदी एवं ग्राम जारागुण्डम, ग्राम सेण्ड्रा, ग्राम चेरपल्ली की सीमा होते हुए कक्ष क्र. पी 1257, पी 1258, पी 1260, पी 1268, पी 1270, पी 1269, पी 1276, पी 1275, पी 1277, पी 1279, पी 1281, पी 1282 आर. एफ. 1, 2, 3, 4, पी 1305, पी 1308, पी 1309, पी 1310 इन्द्रावती नदी होते हुए कक्ष पी 1320, पी 1321 की सीमा तक.

पूर्व - इन्द्रावती नदी एवं कक्ष क्र. पी 1326 से शुरु होकर पी 1126, पी 1328, पी 1330, पी 1336, पी 1338, पी 1342, पी 1344, पी 1345, पी 1365, 1366, पी 1387, पी 1388, पी 1389, पी 1390, पी 1399, पी 1398 तक एवं फरसेगढ़ पिल्लूर रोड होते हुए कक्ष क्र. 62, 60, 49 तक.

दक्षिण - इन्द्रावती नदी से शुरु होकर कक्ष क्र. पी 1098, पी 1099, पी 1096, पी 1095, पी 1094, पी 1093, पी 1092, पी 1091, पी 1090, पी 1083 एवं आर. एफ. कक्ष क्र. 577, 584, 583, 1132, 1131, 1136, 1143, 1142, 1141, 635, 636, 51, 45 तक.

पश्चिम - ग्राम जारागुण्डम की सीमा, इन्द्रावती नदी होते हुए कक्ष क्र. आर. एफ. 672, 671, 670, 659, 658, 657 एवं पी. एफ. कक्ष क्र. पी. 1103, पी 1102, पी 1101, पी 1100, पी 1099, पी 1198 मट्टीमारका ग्राम की सीमा तक.

5. इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बफर एरिया की सीमायें :—

उत्तर - इन्द्रावती नदी एवं ग्राम जारागुण्डम, ग्राम सेण्ड्रा, ग्राम चेरपल्ली की सीमा होते हुए कक्ष क्र. पी 1257, पी 1258, पी 1260, पी 1268, पी 1270, पी 1269, पी 1276, पी 1275, पी 1277, पी 1279, पी 1281, पी 1282 आर. एफ. 1, 2, 3, 4, पी 1305, पी 1308, पी 1309, पी 1310 इन्द्रावती नदी होते हुए कक्ष पी 1320 एवं पी 1321 की सीमा तक.

पूर्व - कक्ष क्र. पी 1321 से शुरु होकर इन्द्रावती नदी होते हुए कक्ष क्र. 122, 121 एवं बेरूदी नदी कक्ष क्र. 117, 116 होते हुए कक्ष क्र. 919 से नेशनल हाईवे (नैमेड़) रोड होते हुए बीजापुर तक.

दक्षिण - इन्द्रावती नदी एवं तिमेड़ ग्राम-भोपालपट्नम नेशनल हाईवे रोड कक्ष क्र. पी 1007, पी 1014, पी 1038, पी 1039, पी 1042, पी 1060, 921, 920, 872, 896, 897, 909, 910 बीजापुर तक.

पश्चिम - ग्राम जारागुण्डम [illegible] होते हुए [illegible] आर. एफ. 672, 671, 670, 669, 658, 657 एवं पी. एफ. कक्ष क्र. पी. 1103, पी 1102, पी 1101, पी 1100, पी 1099, पी 1198 मट्टीमारका ग्राम एवं कक्ष क्र. पी 968 इन्द्रावती नदी होते हुए कक्ष क्र. पी 998, पी 997, पी 996 ग्राम तिमेड़ तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2 दिनांक 20-02-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 20th February 2009

No. F 8-43/2007/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (4) of Section 38-V of Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972) and on the recommendation on National Tiger Conservation Authority, Government of India, the State Government hereby notifies the area specified

in the schedule below as "Indravati Tiger Reserve":—

SCHEDULE

District	-	Bijapur
National Park Divisions	-	Indravati National Park, Bijapur
Tehsil	-	Bijapur
National Park/Ranges	-	Indravati National Park, Bijapur, Bhairamgarn, Madded, Bhopalpatnam range of Bijapur Forest Division.

2. Name of Tiger Reserve - Indravati Tiger Reserve

3. Area (in Sq. Kms.) -

Sr. No.	Type of Areas	Reserve Forest	Protected Forest	Un-demarcated P. F.	Total Forest Area	Revenue Area	Total Area
				(Sq. Kms.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Core Area (Critical Tiger Habitat)	261.50	728.69	203.71	1193.90	64.47	1258.?7
2.	Buffer Area	639.33	221.26	577.67	1438.26	102.44	1540.70
	Total	**900.83**	**949.95**	**781.38**	**2632.16**	**166.91**	**2799.07**

4. Boundaries of Indravati Tiger Reserve Core Area :—

North - Indravati River and boundaries of Jaragundam village, Sandra village, Cherpalli village, boundaries of Compt. No. P 1257, P 1258, P 1260, P 1268, P 1270, P 1269, P 1276, P 1275, P 1277, P 1279, P 1281, P 1282, R. F. 1, 2, 3, 4, P 1305, P 1308, P 1309, P 1310 Indravati river and comptt. P 1320 and P 1321.

East - Indravati river and comptt. No. P 1326 to P 1126, P 1328, P 1330, P 1336, P 1338, P 1342, P 1344, P 1345, P 1365, P 1366, P 1387, P 1388, P 1389, P 1390, P 1399, P 1398 and touching Pharsegarh Pilloor road up to comptt. No. 62, 60, 49.

South - String from Indravati river touching comptt. No. P 1098, P 1099, P 1096, P 1095, P 1094, P 1093, P 1092, P 1091, P 1090, P 1083 and P. F. comptt. No. 577, 584, 583, 1132, 1131, 1136, 1143, 1142, 1141, 635, 636, 51, 45.

West - Boundaries of village Jaragundom, Indravati touching comptt. No. R. F. 672, 671, 670, 659, 658, 657 and P. F. comptt. No. P 1103, P 1102, P 1101, P 1100, P 1099, P 1198 up to boundary of village Mattimarka.

5. Boundaries of Indravati Tiger Reserve, Buffer Area :—

North - Indravati River and boundaries of Jaragundam village, Sandra village, Cherpalli village, boundaries of compt. No. P 1257, P 1258, P 1260, P 1268, P 1270, P 1269, P 1276, P 1275, P 1277, P 1279, P 1281, P 1282, R. F. 1, 2, 3, 4, P 1305, P 1308, P 1309, P 1310 Indravati river and comptt. P 1320 and P 1321.

East - Comptt. No. P 1321 to Indravati river and comptt. No. 122, 121 to Barudi river comptt. No. 117, 116, comptt. No. 919 National Highway-(Naimadh) road Bijapur.

South - Indravati river and Temaidh village-Bhopalpatnam National H. Road comptt. No. P 1007, P 1014, P 1038, P 1039, P 1042, P 1060, 921, 920, 872, 896, 897, 909, 910 Bijapur.

West - Boundaries of village Jaragundam, Indravati touching comptt. No. R. F. 672, 671, 670, 669, 658, 657 and P. F. comptt. No. P 1103, P 1102, P 1101, P 1100, P 1099, P 1198 village Mattimarka and comptt. No. P 968 Indravati river, comptt. No. P 998, P 997, P 996 Temaidh village.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHLENDRA SINGH, Secretary.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-13-10/गृह/दो/2008.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 है.

   (2) ये "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—**-इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, महानिदेशक नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा छत्तीसगढ़ ;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची चार के कालम 6 में यथाविनिर्दिष्ट गठित चयन समिति;

   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ;

   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

   (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

   (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

   (झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा;

   (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन :—**सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ में अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों.

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** —सेवा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जाएगी, अर्थात् :—

(क) (1) चयन/प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा

(2) अनुसूची पांच में वर्णित स्कीम के अनुसार प्लाटून कमाण्डर के 6 प्रतिशत पद लिपिक वर्गीय कर्मचारिवृन्द से चयन द्वारा,

(ख) अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) एवं खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में वर्णित पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्त प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किया जाये.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए सरकार द्वारा मापदंड निर्धारित किए जा सकेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा जो इन मापदंडों से भिन्न अन्य युक्तिसंगत मापदंड सरकार की सहमति से अपना सकेगी.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

(7) उपनियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित की जायेगी, अर्थात् :—

(एक) **शारीरिक माप का मान :**— नियम 8 के उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम समर्थता के अनुसार अभ्यर्थी की शारीरिक समर्थता.

(दो) **लिखित परीक्षा :**—

(क) हिन्दी तथा अंग्रेजी में दक्षता का विनिश्चय करने हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा ली जायेगी, जिसकी कालावधि दो घंटे की होगी, जिसमें 70 अंक हिन्दी के लिए तथा 20 अंक अंग्रेजी के लिए होंगे.

(ख) सामान्य ज्ञान की परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी कालावधि दो घंटे की होगी.

टिप्पणी :— शारीरिक माप से संबंधित किसी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा, प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी जिसमें रिक्त पदों की पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, अंतिम अभ्यर्थी तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने समान या अधिक अंक प्राप्त किये हैं, द्वितीय चरण परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या पांच गुना से अधिक हो जाये.

(तीन) **शारीरिक दक्षता परीक्षा :—** यह परीक्षा अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी, यह 100 अंकों की होगी तथा इस परीक्षा में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी :—

(क)	लंबी कूद	20 अंक
(ख)	ऊंची कूद	20 अंक
(ग)	भाला फेंक	20 अंक
(घ)	100 मीटर दौड़	20 अंक
(ङ)	1500 मीटर दौड़	20 अंक

प्रत्येक मामले में अंकों का विस्तृत विवरण अनुसूची-छ: में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(चार) **साक्षात्कार :—** साक्षात्कार 50 अंकों का होगा.

7. **सेवा में नियुक्ति—** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें :—** लिपिक वर्गीय सेवा से चयन को छोड़कर, अभ्यर्थी को प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के लिये पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) **आयु :—**

(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्षों तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थाई शासकीय सेवक है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी,

9. **निरर्हता :—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार या चयन के लिये उसे निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :—** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी तथा इसमें तीन सदस्य होंगे—

(एक) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार ली जायेगी.

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित किये जायेंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में, उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) ऐसे मामले में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(7) विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :—**

(1) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा की चयन समिति अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् , ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सूची में उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) सूची जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी.

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे.

13. **प्लाटून :—**

(1) कमाण्डर के पद में से 6 प्रतिशत पद नगर सेना की तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा से भरे जायेंगे. नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची-पांच में विहित स्कीम के अनुसार प्रतिवर्ष ऐसी तारीखों पर जैसे कि उसके द्वारा विनिश्चित की जाये, सीमित प्रतियोगी परीक्षा संचालित करेगा.

(2) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पद छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा निर्देशों द्वारा आरक्षित रखे जायेंगे.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम निर्दिष्ट सूची में आए हैं चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों के पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जावेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

परंतु इस उप नियम के अधीन समिति का गठन करने के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 10 के उपबंधों का अनुसरण किया जायेगा.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति (वि. प. स.) सामान्यत: एक वर्ष से अनधिक के अंतराल से अपनी बैठक करेगी.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण किया जायेगा.

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया विहित नियमों एवं सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी.

15. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें :—**

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो.

स्पष्टीकरण :— (1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :—संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जावेगी, जिसमें लोक सेवक फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन के लिये, अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो, और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त किया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :—
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण होने जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक ;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों ;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर छः मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि होने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होंगी ;

(च) आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत किसी दम्पत्ति के संवर्ण पति/पत्नी के उच्चतर जाति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) स्वयंसेवी, नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 7 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी— (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त के खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाये जायें यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाती है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(ञ) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(ट) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

(2) **शारीरिक योग्यता :—** अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक योग्यता होनी चाहिये :—

(क) ऊंचाई - 167.5 से. मी. या उससे अधिक, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152.4 से. मी. या उससे अधिक

(ख) सीना - बिना फुलाए - 81 से. मी.
फुलाने पर - 86 से. मी.
सीना फुलाने पर तथा बिना फुलाये कम से कम 5 से. मी. का अंतर होना चाहिये, इस संबंध में किसी प्रकार का शिथिलीकरण नहीं किया जायेगा.

(ग) अभ्यर्थी शारीरिक रूप से नि:शक्त नहीं होना चाहिये.

(घ) अभ्यर्थी को फ्लेट या फूर्ट दृष्टिदोष नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त (मेडिकली फिट) होना चाहिये.

(3) **शैक्षणिक अर्हता :—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जो अनुसूची-तीन में दर्शायी गई है.

(4) **फीस :—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा.

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान पदोन्नति हेतु लागू होंगे.

(3) पदोन्नति हेतु शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

16. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना :—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 17 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो. यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(2) चतुर्थ श्रेणी के पद से तृतीय श्रेणी के पद पर तथा तृतीय श्रेणी के पद से पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची के तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

17. **चयन सूची :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) जिस कलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार की जायेगी, उसकी विधिमान्यता सूची अनुमोदन के दिनांक से एक वर्ष तक विधिमान्य रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन की सलाह पर, सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम, सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

19. **परिवीक्षा :—** सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से, जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को, सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. कंपनी कमांडर	32	तृतीय श्रेणी	5500-175-9000	—
	2. असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर	01	(कार्यपालिक)		
	कुल पदों की संख्या	**33**			
2.	प्लाटून कमाण्डर	47	—तदैव—	4500-125-7000	—
3.	सहायक उपनिरीक्षक	02	—तदैव—	4000-100-6000	—
4.	1. हवलदार अनुदेशक	46	—तदैव—	3500-80-4700-100-5200	—
	2. हवलदार स्टोरमैन	19	—तदैव—		
	कुल पदों की संख्या	**65**			
5.	आरक्षक	37	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	—

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (देखिए नियम-6 (क))	सेवा के स्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (देखिए नियम-6 (1) (ख))	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा (देखिए नियम-6(ग))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा					
	1. कंपनी कमाण्डर एवं समकक्ष पद	33	–	100%	–	–
	2. प्लाटून कमाण्डर एवं समकक्ष पद	47	90% सामान्य अभ्यर्थियों के लिए	4% 6% लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति से (अनुसूची-पांच(5) के अनुसार)	–	–
	3. सहायक उपनिरीक्षक	02	–	100%	–	–
	4. हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	65	75%	25%	–	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उन स्वयं सेवी नगर सैनिको से भरे जायेंगे जिन्होने कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के 25% पद आरक्षक एवं समकक्ष से भरे जाने है।
	5. आरक्षक एवं समकक्ष पद	37	80%	20%	–	1. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के 80% पद उन स्वयं सेवी नगर सैनिको से भरे जायेंगे जिन्होने कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो. 2. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के 20% पद चतुर्थ श्रेणी से भरे जाने है।

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु एवं अर्हता

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग	1. प्लाटून कमाण्डर एवं समकक्ष पद	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, एनसीसी या नगर सेना प्रशिक्षण प्राप्त हो।	—
	2. हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	21 वर्ष	35 वर्ष	छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति से हाई स्कूल या पुराना हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	
	3. आरक्षक एवं समकक्ष पद	21 वर्ष	35 वर्ष	—तदैव—	

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा की कालावधि	पदोन्नति की पद्धति अर्थात् चयन पद्धति या चयनेत्तर पद्धति	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग	1. प्लाटून कमाण्डर एवं समकक्ष पद	कंपनी कमाण्डर एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता	1. अतिरिक्त प्रधान सेनानी-अध्यक्ष 2. सीनियर स्टाफ आफिसर-सदस्य 3. एक संभागीय सेनानी -सदस्य (डी.जी. द्वारा नामनिर्देशित) 4. जूनियर स्टाफ आफिसर-सदस्य सचिव
	2. सहायक उप-निरीक्षक	प्लाटून कमाण्डर एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	3. हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	सहायक उपनिरीक्षक	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	4. आरक्षक एवं समकक्ष पद	हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	—तदैव—	1. सीनियर स्टाफ आफिसर-अध्यक्ष 2. एक जिला सेनानी -सदस्य (डी.जी. द्वारा नामनिर्देशित) 3. जूनियर स्टाफ आफिसर-सदस्य सचिव
	5. चतुर्थ श्रेणी सेवा	आरक्षक एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—

टीप—विभागीय पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर, अन्य नामनिर्देशित किए गये सदस्यों में यदि सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो ऐसे प्रवर्गों के लिए समान केडर के किसी अन्य अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जायेगा और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी ।

अनुसूची– पांच

लिपिकवर्गीय सेवा से प्लाटून कमांडर के पद पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति करने के लिए स्कीम :–

1. **शीर्षक** :– इस योजना का संक्षिप्त नाम नगर सेना के लिपिक वर्गीय सेवा में से तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) से प्लाटून कमाण्डर की भर्ती के लिए स्कीम है ।

2. **पात्रता** :– इस स्कीम के अधीन लिपिक वर्गीय सेवा के केवल वे ही सदस्य पात्र होंगे, जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हो, अर्थात् :–
   (एक) जिन्होने नगर सेना विभाग में पांच वर्ष की लगातार लिपिक वर्गीय सेवा, पूर्ण कर ली हो ।
   (दो) जो अनुसूची तीन में पलाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो ।
   (तीन) उसकी आयु उस वर्ष के प्रथम दिन को जिस वर्ष में उसकी नियुक्ति हेतु चयन किया जाये, 40 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी ।
   (चार) अभ्यर्थी प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती के लिए नियम 8 (2) में विहित शारीरिक समर्थता रखता हो ।

3. **चयन** – नियुक्ति हेतु चयन –
   (एक) सफल अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के अधार पर किया जायेगा; और
   (दो) चयन के लिए संबंधित कर्मचारियों के पिछले पांच वर्षो की चरित्रावलि के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

4. **परीक्षा** :– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक वर्ष ऐसी रीति में तथा उन तारीखों तथा स्थानों पर जो कि उनके द्वारा अवधारित किया जाये, लिखित परीक्षा लेगा।
   (दो) लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक 50 अंक के ढाई घंटे की अवधि के दो प्रश्न पत्र होंगे, इस परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करने होंगे।
   (तीन) प्रश्न पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार कराये जायेंगे और उनमें निम्नलिखित विषय होंगे :–
   प्रश्न पत्र प्रथम :– सामान्य ज्ञान, हिन्दी तथा प्रारंभिक अंकगणित.
   प्रश्न पत्र द्वितीय :–
   (1) शासकीय सेवा के सामान्य नियम।
   (2) विभाग में प्रचलित शब्दावली का ज्ञान।
   (3) विभाग से संबंधित अधिनियम, नियम, मेन्यूअल आदि।
   (4) प्रश्न–पत्रों के लिए पाठ्यकम, जो कि संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।
   (5) केवल वही कर्मचारी इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा, जो उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित अर्हताएं पूरी करता हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस परीक्षा में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन, परीक्षा के लिए नियत तारीख से कम से कम एक माह पूर्व आवेदन आमंत्रित किये

जायेंगे, ऐसे आवेदको को जो इस परीक्षा के लिए पात्र पाये जायें, परीक्षा की तारीख, स्थान तथा समय की जानकारी दी जायेगी । शारीरिक समर्थता की पात्रता के बारे में उस जिले के, जहां कर्मचारी कार्य कर रहा है, सिविल सर्जन द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उनके द्वारा नाम निर्देशित विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा ।

(7) ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बनायी जाएगी, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक–पृथक न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अभिप्राप्त किये है ।

5. **चरित्रावलियों का मूल्यांकन तथा अंतिम चयन सूची** :–

(1) अनुसूची चार के कालम (6) में उल्लिखित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पैरा 4 (7) के अनुसार, तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पिछले 5 वर्ष की चरित्रावली का मूल्यांकन किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक के लिए 20 अंकों में से निम्नलिखित कमबद्ध मापमान के अनुसार अंक दिये जायेंगे:–

उत्कृष्ठ / बहुत अच्छा	.. 20
अच्छा	.. 15
सामान्य	.. 10

(3) चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर अभिप्राप्त अंक, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त किये गये अंकों के सामने प्रविष्ट किये जायेंगे और इन दोनों अंकों का जोड़ कुल अंक होंगे ।

(4) अंतिम चयन सूची अभिप्राप्त कुल अंको के आधार पर तैयार की जायेगी। कमाण्डर पद 6% कोटे के सामने नियुक्ति सूची में दिए नामों के क्रम के अनुसार की जाएगी ।

(5) लिपिक वर्गीय सेवा से नियुक्त प्लाटून कमाण्डर के पद पर पारस्परिक वरिष्ठता, अंतिम सूची में योग्यता क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

6. **परिवीक्षा** :– इस स्कीम के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक कर्मचारी, दो वर्ष की परिवीक्षा कालावधि पर होगा, इस कालावधि के दौरान, उसे ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और यदि विभागीय परीक्षाएं विहित की जाती है तो उसे उत्तीर्ण करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी परिवीक्षा कालावधि के दौरान प्लाटून कमाण्डर के पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे उसके मूल लिपिक वर्गीय पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा । प्रतिवर्तित होने पर उसके द्वारा परिवीक्षा कालावधि के दौरान सूचना सहायक के पद पर की गई सेवा, लिपिक वर्गीय सेवा में की गई सेवा समझी जावेगी ।

परिशिष्ट

प्रश्न पत्रों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र–1 अधिकतम अंक–50

1. सामान्य ज्ञान (15 अंक) –सामायिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा संबंधित प्रसंग, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी (तीन प्रश्न) .
2. सामान्य हिन्दी (15 अंक) – 10–12 लाइन की संक्षेपिका के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न, समान शब्दों के अर्थ में भिन्नता तथा किसी भी विषय पर 150 शब्दों में सीमित निबंध .
3. प्रारम्भिक गणित (20 अंक) – गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली में भिन्न, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन तथा अनुपात .

प्रश्न पत्र–2 अधिकतम अंक–50

1. शासकीय सेवा संबंधी ज्ञान (20 अंक) – वेतन, भत्ता, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, भर्ती नियमों के बारे में सामान्य ज्ञान तथा आचरण नियम के बारे में प्रारंभिक ज्ञान .
2. विभाग में प्रचलित शब्दावली का ज्ञान (15 अंक) – विभाग में सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले शब्दों के आधार पर प्रश्न .
3. विभागीय नियमों आदि का ज्ञान (15 अंक) – विभिन्न अधिनियमों, नियमों आदि पर प्रश्न जिनके अधीन विभाग का कार्य होता है .

टीप – 1. यदि विभाग चाहे तो प्रश्न – पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति के आधार पर तैयार कर सकता है । इस संबंध में विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया जाये कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धति से होगी।

2. उपर्युक्त पाठ्यक्रम विवरणात्मक है, विभाग अपने स्वविवेक तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन कर सकता है।

अनुसूची — छः
(नियम 6 का उप नियम (7) देखिये)

स.क्र.	मद	पुरुष अभ्यर्थी	अंक	महिला अभ्यर्थी	अंक	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अ.	लम्बी कूद	तीन प्रयास	20	तीन प्रयास	20	—
	12 फीट	3.66 मी.	00	8 फीट (2.44 मी.)	00	—
	14 फीट	4.27 मी.	04	10 फीट (3.05 मी.)	04	—
	15 फीट	4.88 मी.	08	12 फीट (3.66 मी.)	08	—
	17 फीट	5.18 मी.	12	13 फीट (3.96 मी.)	12	—
	18 फीट	5.49 मी.	16	14 फीट (4.27 मी.)	16	—
	19 फीट	5.79 मी. या अधिक	20	15 फीट (4.57 मी.) या अधिक	20	—
ब.	ऊंची कूद	तीन प्रयास	20	तीन प्रयास	20	—
	4 फीट	1.22 मी.	00	3 फीट (0.91 मी.)	00	—
	4 फीट 2 इंच	1.27 मी.	04	3 फीट 2 इंच	04	—
	4 फीट 4 इंच	1.32 मी.	08	3 फीट 4 इंच (3.66 मी.)	08	—
	4 फीट 6 इंच	1.37 मी.	12	3 फीट 6 इंच (1.07 मी.)	12	—
	4 फीट 8 इंच	1.42 मी.	16	3 फीट 8 इंच (1.22 मी.)	16	—
	5 फीट 10 इंच	1.78 मी. या अधिक	20	4 फीट 10 इंच (1.47 मी.) या अधिक	20	—

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-13-10/गृह/दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31 दिसम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

Raipur, the 31st December 2008

No. F-13-10/Home-Two/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Chhattisgarh Home Guards class III (Executive) services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement** :—(1) These rules shall be called Chhattisgarh Home Guards Class III (Executive) Service Recruitment Rules, 2008.

   2. It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Chhattisgarh Gazette."

2. **Definitions** :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means Director General Home Guards and Civil Security Chhattisgarh;

   (b) "Committee" means the selection committee constituted as specified in column 6 of Schedule IV;

   (c) "Examination" means the competitive examination for the recruitment to the service under rule 11;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (f) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

   (g) "Scheduled Caste" means Scheduled Caste, as specified in relation to this State of under Article 341 of the Constitution of India;

   (h) "Scheduled Tribe" means Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (i) "Other Backward Class" means the Other Backward Class as citizens as specified by the Chhattisgarh Government vide Notification No. F-8-5-xxv-4-48, dated 26th December 1984 as amended from time to time by State Government;

   (j) "Service" means the Chhattisgarh Home Guards class III (Executive) service.

   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application** :— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitutions of the service**:- The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding Substantively the posts specified in Schedule I;
(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification Scale of pay etc**:- The classification of the service, and number posts included in the service and shall be in accordance with the provisions contained in Schedule- I;

Provided that the Government may, from time to time increase or decrease the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment**:- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following method, namely:-

(a) (1) By direct recruitment through Selection/ Competitive Examination;
(2) Six percent posts of platoon commander, as per the scheme mentioned in schedule V through selection from ministerial staff.
(b) By promotion of members of the service as specified in column (2) of Schedule- IV.
(c) By transfer of persons who hold in a substancity capacity such posts, in such services as specified in this behalf.

(2) The member of persons recruited under clause (b) and clause (c) of sub rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts mentioned in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, the exigency of the service so require, the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other then those specified in the said sub rule as it may by order issued in this behalf.

(5) For posts to be filled up by direct recruitment: Government may specify for selection on the merit basis, however, it will be mandatory on the part of Appointing Authority to constitute a selection committee, which may adopt other appropriate norms, deferent these norms, by consant of Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directions issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

(7) The Selection procedure of the compertitive examination contained in clause (a) of sub rule (1) shall be conducted as under, namely:-

(i) **Standard of physical measurement:-** Physical fitness of the candidate as per minmum fitness as specified in sub rule (2) of Rule 8.

(ii) **Written test-** (a)To decide the efficiency in Hindi and English a written test of 100 marks shall be period of which shall be period of which shall be of two hours in wich 70 mark shall be for Hindi, 30 marks shall be for English.

(b) The General knowledge test will be of 100 marks the period of which shall be of two hours.

Note:-For any dispute regarding physical measurement the decision of the District Chief Medical Officer shall be final. A merit list will be prepared after adding the marks obtained in test of the first stage in which five times candidatesn of the vacant posts shall be called for the second stage test. The last candidate and the all those candidates who have obtained the same marks or more marks shall be called for the second stage test irrespective of the number of candidate which exceed more then five time.

(iii) Physical Efficiency Test:- This test shall be compulsory for all the candidates. This shall be of 100 marks and in this test the following items shall be included in this:-

(a)	Long jump	20 marks
(b)	High jump	20 marks
(c)	Javelin Throw	20 marks
(d)	100 meters race	20 marks
(e)	1500 meters race	20 marks

In every case a detailed statement of marks has been specified in Schedule- VI.

(iv) Interview:- Interview will be of 50 marks.

7. **Appointment to the service**:- All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and any such appointment shall be made except after the selection by one of the methods of recruitment specified in rule - 6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment**:- Except selection from ministrial service - In order to be eligible for competitive examination/selection the candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) Age:-

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for appointment of women) Rules 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more that 38 years of age;

(ii) A candidate who is a temporary Government Servant and applying for another post should not be more than 38 yeas of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees work charged employees and employees working in the project implementing committee.

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct, from his age, the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represent more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation:-The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who as discharge because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex- serviceman shall be allowed to deduct the period of entire defiançe service previously rendered by him from his age provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term " Ex- Servicemen" means a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the common unit or due to normal reduction in establishment not more then three years before the date of has registration at any employment exchage or an application made otherwise for employment in Government service.

(1) Such Ex- service man, who has been released under Mustering out concession.

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and who has been discharge.

(a) On completion of short trem engagement;

(b) On completion of conditions regarding recruitment.

(3) Ex-personal of Madras Civil Units.

(4) Officers (Combatant and non-combatant), including short service regular commissioned officer who have been releaved on completion of their contract.

(5) Officers, discharged after working for more than six month continually against leave vacancy post.
(6) Ex-serviceman who has been released from service due to disability.
(7) Ex-service an discharged on the ground that they are unlikely to become efficient solders.
(8) Ex-service man who are medically boarded out on account of gun shert, wounds etc.

(e) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 2 years for those candidates who are holding green cards under the family planning programme.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste couple under the inter-caste marriage incentive programme of the tribal and scheduled cast, Development department.

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of the sportsmen receiving Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Honour, Maharaja Pravir Chand Bhanjdeo Award and youth receiving National youth Award.

(h) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are empower of Chhattisgarh State Corporations Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and noncommioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 7 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note:-(1) Candidates who are admitted to the selection under the relaxation mentioned in sub clause (one) and (two) of Clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after selection. They will, however continue to be check it they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) Age limits shall not be relaxed in any other case, Departmental candidate has to obtain prior permission of his Appointing Authority to proceed for selection.

(j) The maximum upper age limit shall not inreease to 45 years for any candidate to enter into Government service even after availing the benefit of age relaxation on the basis of one or more ground as to above.

(k) The directions issued time to time by General Administration Department of Government in context to age limit shall also be applicable.

(2) **Physical Fitness**:- Candidate should possess the following physical fitness:-

(a) Height	: 167.5 cm. or more	:	
	For female candidate	- 152.4 cm. or more	
(b)Chest	: Without expansion	- 81 cm.	
	: With Expansion	- 86 cm.	

Atleast 5 cm difference must be their in the chest when it is expanded and not expanded. No. relaxation will be allowed in this regard.

(c) Candidate would not be physically disabled.

(d) The candidate should not be flat or fort have any defect in vision and he should be medically fit.

(3) **Educational Qualifications**:- A candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule III.

(4) **Fees** :- The candidate has to pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification** :- Any attempt on the part of candidate to obtain support to his candidature by any mean may be held by the Appointing Authourity to disqualify him for examination/ interview or selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final**:- The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of otherwise of a candidate for appearing in the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issused by the Appointing Authrorty shall be allowed to appear in the examination/ interview.

11. **Diect recruitment througth selection/ competitive examination**:- (1) A selection committee shall be constituted by Appionting Authorty and it shall consist three members

(i) Examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(3) 30% ports shall be reserved for woman candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of women) Rules, 1997.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scoheuled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies for the candidates of the Scheduled Castes, Sceheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub rule (3).

(6) In such cases, where experience or some time period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authorty that there is a possibility that the candidates, belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(7) There shall be reservation for physically handicapped persons as per the directions issused by General Administration Department.

12. List of Candidates Recommend by the Selection Committee: (1) The selection committee shall forward the list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates, who have been qualified by such standard as determine by the selection committee and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Bankward Classes, who through not qualified by that standard but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficincy in administration. The list shall also be the published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list canfers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment i ı the service.

(4) The list shall be valid for the period of one year from the date of issue of list.

(5) The posts shall be kept reserved for the female candidates according to Chhattisgarh Civil Service (Special provision for appointment of women) Rule, 1997.

13. **PLATOON**: - (1) 6 percent post to be filled in class III clerical service of Home guard from the post of Platoon Commander. The Appointing Authouity shall conduct Limited competitive examination every year on the dates as may be decided by him as per the scheme prescribed in Schedule-V.

(2) Available posts for direct recruitment shall be reserved for the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes according to the provisions of Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and by orders and instructions issued by the Government from time to time.

(3) In filling up the the vacancies so reserved, candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative rank as compared with the names of other candidates.

14. **Appointment by promotion** :-(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Scheduled IV for marking a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that for the purpose of constitution of the committee under this sub- rule the provisions of Section-X at the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) shall be adhered to.

(2) The Department Promotion Committee (DPC) shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in Promotion shall made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion), 2003.

(4) The procedure for promotion into vacancies shall be made as per prescribed rules and directions as issued time to time by General Administration Department of Government.

15 **Condition of Eligibility for promotion /transfer :-** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of the year had completed not less than such number of years of service, whether officiating or substantive on the posts from which promotion is to be mede as specified in column (4) of schedule IV.

Explanation:-(1) Procedure for calculation the eligibility for promotion:- The calculation of duration of qualifying service shall be made from first January of that concerned calendar year when DPC/scruitinity committee is called upon, in which the public servant has come into Feeder Cadre /Part of Service/Pay Scale of the post and not from the date of coming into Feeder Cadre/Part of Service /Pay Scale of the post.

(2) The provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules 2003, shall apply for promotion.

(3) The promotion shall be made as per Reservation Roster as prescribed by Government for promotion.

16. **Preparation of List of Suitable Persons :-** (1) The DPC shall prepare a list of persons who satisfy the condition prescribed in rule 17 and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be adequate to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year form the date of preparation of the selection list.

(2) For preparing the selection list of persons for promotion from the post of Class IV to Class III and Class III the criterion shall be seniority subject to fitness.

(3) The names of the employee included in the list shall be arranged in order of seniority in the service of posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list, as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rule, 1961.

Explanation: - A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. **Selection List :-**

(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approved list .

(2) The selection list so prepared for promotion in such calendar year shall be valid for a period of one year from the date of its legally approved list .

Provided that the selection list may be specifically reviewed on the advice of Government in case of severe lapse in compliance or execution of duty by any person included in selection list.

18. **Appointment in the Service from the select list**:- (1) Appointment of the persons/included in the selected list to the pasts borne on the cadre of the service shall be as per the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person whose name is included in the select list, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

19. **Probation**: - Every person directly recruited to the service shall be appointe on probation for a period of two years.

20. **Interpretation**: - If any question arises relating to the interpretation of rules, it shall be referred to Government, whose decision there on shall be final.

21. **Relaxation** :- Nothing in these rules shall be constituted a limit or bridge the power of the Government deal with the case of any person to whom these rules apply, as it may seems just and proper.

Provided that the case shall not dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

23. Repeal and Saving: - All rules correspondence to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY PILLAY, Secretary.

SCHEDULE – I

(See Rule -5)

Classification of service, Pay Scale and Number of Posts included in the service.

S.No.	Name of the post	No.of posts	Classification	Scales of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1.Company Commander 2.Assistant Quarter Master	32 01	Class-III (Executive)	5500-175-9000	-
	Total No. of Post	33			
2.	Platoon Commander	47	-do-	4500-125-7000	-
3.	Asstt. Sub-Inspector	02	-do-	4000-100-6000	-
4.	1. Havaldar Instructor 2. Havaldar Storemen	46 19	-do -do-	3500-80-4700-100-5200	-
	Total No. of Post	65			-
5.	Constable	37	-dp-	3050-75-3950-80-4590	-

SCHEDULE – III

(See Rule -8)

Age and Qualification for direct recruitment

Name of Department	Name of post	Minimum age limit	Upper Age limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Home (Police) Department	1. Platoon Commander and the equivalent post	21 Yrs.	35 Yrs.	Must be graduate from any recognized university. Must be NCC or Home Guards trained.	-
	2. Hawaldar Instructor and the equivalent post	21 Yrs.	35 Yrs.	Must have passed High School in 10+2 system or old Higher Secondary Examination from the Secondary Education Board or from C.G. recognized institution	
	3. Constable and the equivalent post	21 Yrs.	35 Yrs.	- do -	

SCHEDULE – II
(See Rule -6)
Method of recruitment

Department	Name of Service	Total No. of Duty Posts	Percentage of the No. of Duty posts to be filled in			Remarks
			By Direct Recruit-ment {See Rule 6 (a)}	By Promotion of the permanent members of the service {See Rule 6 (b)}	By temporary transfer of the persons of the other service {See Rule 6 (c)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home (Police) Department	Chhattisgarh Home Guards Class III Executive Service					
	1. Company Commander and Equivalent post	33	-	100%	-	-
	2. Platoon Commander and equivalent post	47	90% for General Candidates	4% 6% from the appointment of the employees of the clerical class (as per schedule-V(5)	-	-
	3. Asstt. Sub Inspector	02	-	100%	-	-
	4 Havaldar Instructor and the equivalent post	65	75%	25%	-	The Posts to be filled in by Direct recruitment shall be filled up from those volunteer Home Guards who have completed the service of at least 6 years. 25% posts of the posts to be filled by promotion shall be filled from constable and equivalent.
	5. Constable and the equivalent post	37	80%	20%	-	1. 80% of the post to be filled in the Direct recruitment shall be filled up from those volunteer Home Guards of Home who have completed the service of at least 6 years. 2. 20% of the post to be filled in by promotion shall be filled up from class IV posts.

SCHEDULE – IV

(See Rule -14)

Name of the Department	Name of the service or Post from which promotion is to be made	Name of service or posts to which promotion is to be made	Period of service for promotion	Method of promotion i.e. selection method or post selection method.	Name of the Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Home (Police) Department	1. Platoon Commander and the equivalent post.	Company Commander and the equivalent post	5 Yrs.	Seniority cum fitness.	1. Addl. Commandant General – Chairman. 2. Senior Staff Officer- Member 3. One Divisional Commandant (Nominated by D.G.) 4. Junior Staff Officer – Member Secretary
	2. Asst. Sub Inspector	Platoon Commander and the equivalent post	5 Yrs.	-do-	-do-
	3. Hawaldar Instructor and the equivalent post.	Asst.sub Inspector	5 Yrs.	-do-	-do-
	4. Constable and the equivalent post	Hawaldar instructor and the equivalent post	5 Yrs.	-do-	1. Senior Staff Officer- Chairman 2. One District Commandant (Nominated by D.G.)- Member 3. Junior Staff Officer- Member Secretary
	5. Class IV Service	Constable and the equivalent post	5 Yrs.	-do-	-do-

Note: Accept presiding Officer in the Departmental Promotion Committee, if any member amongst from other members nominated, does not represent Scheduled Castes, Scheduled Tribes them for such categorics, any other officer of equivalent cadre shall be included in Departmental Promotion Committee and the number of the member of Departmental Promotion Committee shall be increased to that limit.

SCHEDULE - V

Scheme for appointment to the post of Platoon Commander from the Clerical Class Service through a limited competitive examination:-

1. **Title**: - The short name of this scheme may be called the Scheme for the recruitment of Platoon Commander from Class III (Executive) amongst the clerical service of the Home Guards.

2. **Eligibility**: - Only those members of the clerical service shall be eligible under this scheme, who fulfill the following qualifications, namely:-

(One) Who has completed five years continuous ministerial service in the Home Guards Department.

(Two) Who possess Qualification prescribed for direct recruitment of the posts of Platoon Commander in Schedule III, i.e. must be graduate from any recognized University.

(Three) His age should not exceed 40 years, on the first day of the year in which he is selected for appointment, in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes the maximum age limit shall be 45 years.

(Four) Candidate must fulfill physical fitness prescribed in rule 8(2) for recruitment to the post of Platoon Commander.

3. **Selection**:- Selection for appointment shall be made on the basis of :-

(i). The marks obtained by successful candidates at the examination ; and

(ii). The evaluation of the character rolls of the employees concerned for the past five years shall be taken into account for selection.

4. **Examination:** (One) The Appointing Authority shall hold a written examination each year in such a manner and on date and place to be detterminated by him.

(Two) There will be two question papers of 2½ hours duration each carrying 50 marks each for written examination. For being successful in this examination one has to obtain at least 50% marks in each paper.

contd...2.

(Three) The Appointing Authority shall get set the question papers in the following subject:

QUESTION PAPER:- I: General Knowledge, Hindi and Elementary mathematics.

QUESTION PAPER: - 2: (1) General Rules of Government service.

(2) Knowledge of the Glossary prevalent in the Deptt.

(3) Act. Rules, Manuals etc., relating to the Department.

(4) The syllabus for the question papers is given in the attached appendix.

(5) Only such employee will be eligible for admission to this examination who fulfils the qualifications laid down the fore going para-2. Application for admissions to this examinations from intending candidates will be invited by the Appointing Authority at least one month prior to the date fixed for holding the examination those applicants who are Found eligible to this examination will be informed of the dates, place and time of the examination. As regards the eligibility of physical fitness the certificate issued by the Civil Surgeon of the district where the employee is working should be treated.

(6) The valuation of the answer books shall be got done by the officer of the department as nominated by Appointing Authority.

(7) A list of such candidates will be drawn up who have secured 50% or more marks in each question paper separately.

5. **To evaluation of character rolls and final selection lists** :- (1)The evaluation of the character tolls for the proceeding five years of the candidates included in the selection list prepared according to Para 4(7) will be made by the Department Committee mentioned in column (6) to Schedule IV.

(2) Each candidate shall be awarded marks according to the following graded scale out of 20 marks for each.

Excellent /very Good	:	20
Good	:	15
Normal	:	10

(3) The marks obtained on the basis of evaluation of character rolls shall be entered against the marks obtained by each candidate at the written examination and the total of these two figures shall be the total marks.

(4) The final selection list shall be prepared on the basis of the total marks obtained. As against 6% quota for the commander the appointment will be made in due order or names given in the list.

(5) Mutual seniority on the post of platoon Commander appointed from ministerial (Clerical) class service shall be determined as per order of merit in final list.

6. **Probation**:- Each employee, appointed under this Scheme, will be on probation for a period of two years. During this period, he shall undergo such training and pass such department examination, shall be prescribed if any. If any candidate is found unsuitable for the post of Platoon Commander during the probation period, he shall be reverted to his original ministerial post. On reversion the service rendered on the post of information Assistant during probation shall deemed to be the service rendered in the ministerial service.

APPENDIX
SYLLABUS FOR THE QUESTION PAPERS

Question paper -1 **Maximum marks: 50**

1. General knowledge (15 marks) - Contemporary events, History of India, Geography of India and allied reluctances. General Knowledge about Chhattisgarh (Three Question)
2. General Hindi (15 marks) – Short questions based on a 10-12 lines pricis, distinguishing meaning of similar words and an essay on any subject limited to 150 words.
3. Elementary Mathematics (20 marks)- Multiplication, division, fractions in decimal system, percentage, profit and loss average area, volume and ratio.

Question paper-2 **Maximum Marks: 50**

1. Knowledge about Government service (20 marks)- pay, Allowance Leave, General provident Fund, General Knowledge about recruitment rules and elementary Knowledge about conduct Rules.
2. Vocabulary used in the department (15 marks) - questions based of the vocabularies generally used in the department.
3. Knowledge of department rules etc.(15 marks) Question on different Acts, Rules, etc, under which the department function.

Note:-

(1) If the department the question papers can be set on objective pattern. This should be made clear in the advertisement that the examination will be held on the objective pattern.

(2) The Old syllabus is narative, the department can make amendment in if according to its discreption and necessity.

SCHEDULE - 6

[See Sub - Rule (7) of the Rule - 6]

Sl.No.	Item	Male Candidate	Marks	Female Candidate	Marks	Remarks
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}
A	Long Jump	Three Attempts	20	Three Attempts	20	-
	12ft.	3.66Mt.	O0	8ft. (2.44 Mt.)	O0	-
	14 ft.	4.27 Mt	O4	10 ft. (3.05 Mt.)	O4	-
	15ft.	4.88Mt.	O8	12 ft. (3.66Mt.)	O8	-
	17ft.	5.18Mt.	12	13ft. (3.96Mt.)	12	-
	18ft.	5.49Mt.	16	14 ft. (4.27Mt.)	16	
	19ft.	5..79Mt. Or More	20	15ft. (4.57Mt.) or more	20	..
B	High Jump	Three Attempts	20	Three Attempts	20	..
	4 ft.	1.22Mt.	O0	3ft. (0.91Mt.)	O0	..
	4ft.2Inch	1.27Mt.	O4	3ft 2 Inch	O4	..
	4ft. 4 Inch	1.32 Mt.	O8	3ft.4 Inch (3,66 Mt.)	O8	..
	4ft.6 Inch	1.37 Mt.	12	3 ft. 6 Inch (1.07Mt.)	12	..
	4ft 8 Inch	1.42 Mt.	16	3 ft 8 Inch (1.22 Mt.)	16	..
	5ft. 10 Inched	1.78Mt. Or More	20	4ft. 10 Inch (1.47Mt.) Or More	20	..

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भड़ोरा प.ह.नं. 14	0.092	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	रबेली माइ. नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भड़ोरा प.ह.नं. 14	0.052	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	भड़ोरा माइ. नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 जनवरी 2009

क्रमांक/594/भू-अर्जन/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	कटेकल्याण	धनीकरका	0.32	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	गाटम से सूरनार मर्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भूरका	0.024	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर (छ. ग.).	सिंधनपुरी-भाठा भूरका मार्ग पर आगर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	शंकरपाली प. ह. नं. 28	0.116	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (मुख्यालय-खरसिया)	केलो परियोजना के अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतमरा प. ह. नं. 38	0.784	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (मुख्यालय-खरसिया)	केलो परियोजना के अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बादीमाल प. ह. नं. 29	2.796	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (मुख्यालय-खरसिया)	केलो परियोजना के अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-कुसमुरा, प. ह. नं.-03, तहसील व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 0.229 हे. मुख्य नहर प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 01-06-07 तथा 11-01-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण

ग्राम-कुसमुरा
प. ह. नं. 03, रा. नि. मं. रायगढ़, तह.-रायगढ़, जिला-रायगढ़

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
1.	572/1	0.229
	कुल रकबा -	**0.229**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किए जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नावापारा प. ह. नं. 27	2.285	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (मुख्यालय-खरसिया)	केलो परियोजना अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 फरवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प. ह. नं. 15	28.347	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	ग्राम-दनौट, के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक/920/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	पंडरिया प. ह. नं. 18	2.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक/921/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	सिंघौरी प. ह. नं. 28	0.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक/922/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	मूंडाटोला प. ह. नं. 09	0.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मूंडाटोला जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक/923/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	गोदरी प. ह. नं. 29	0.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक/924/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	भरदागोंड़ प. ह. नं. 18	18.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक/925/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	जोशीलमती प. ह. नं. 55	1.457	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के बांध एवं डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/115/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	कटंगीखुर्द प. ह. नं. 45	2.437	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	कटंगीखुर्द से न्यू जुनवानी पहुंच मार्ग.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/119/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	भनसुला प. ह. नं. 45	1.320	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	कटंगीखुर्द से न्यू जुनवानी पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/121/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	पवनतरा प. ह. नं. 50	4.122	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना के अन्तर्गत वितरक नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/127/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	अमलीडीह प. ह. नं. 55	2.437	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना में वितरक नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/131/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	टाटावाही प. ह. नं. 44	6.964	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला परियोजना के अन्तर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 1/अ. 82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रमचण्डी प. ह. नं. 72/15	384	1.481	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर.	नई राजधानी योजनांतर्गत सड़क क्रमांक 8 के निर्माण हेतु.
			385	0.160		
			454/1, 454/2	0.500		
			200/2	0.020		
			85/3	0.061		
			85/4	0.202		
			105, 134/1	0.150		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			112	0.110		
			130	0.020		
			139	0.040		
			206/1, 206/11	0.970		
			208/3	0.270		
			111/2	0.081		
			108	0.073		
			200/4	0.821		
			383/1, 383/2	0.420		
			201/3	0.020		
			134/2	0.090		
			109/2	0.036		
			106	0.142		
			107	0.020		
			110	0.020		
			111/1	0.080		
			128/1, 128/5, 128/6	0.533		
			132	0.030		
			133	0.010		
			136/1	0.360		
			382	0.220		
			128/2, 128/3	0.267		
			109/1	0.040		
			208/1	0.380		
			136/2	0.060		
			208/5	0.040		
		योग	**33**	**7.727**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 12/अ. 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	1877	0.30	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	लोक हित में नया रायपुर परियोजना में विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु.
			1942	0.29		
			1863	0.11		
			1849	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1867	0.08		
			1859/1	0.09		
			1887	0.05		
			1840	0.27		
			1878	0.83		
			1845	0.10		
			1848	0.12		
			1864	0.10		
			1884	0.07		
			1889	0.85		
			1842	0.12		
			1877/2061	0.20		
			1880	0.07		
			1943	0.10		
			1953	0.05		
			1908/2	0.16		
			1859/2	0.10		
			1857	0.17		
			1883	0.27		
			1909	3.08		
			1910	0.05		
			1876	0.16		
		योग	**26**	**7.95**		

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 13/अ. 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	1392	2.00	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना में रोड क्रमांक 04-09 हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.
			1440/1	0.25		
			1623	0.15		
			1432	1.50		
			1499	0.10		
			1430	0.60		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1497	0.35		
			1953	0.02		
			1943	0.08		
			1945	0.04		
			1922	1.80		
			1909	2.84		
			1500	0.30		
			1431	0.17		
			1498/3	0.20		
			1533	0.21		
			1440/2	0.30		
			1535	0.69		
			1498/1	0.20		
			1498/2	0.20		
			1539	1.10		
			1536	0.20		
			1538	0.03		
			1537	0.02		
			1534	0.03		
			1624	0.10		
			1629	0.13		
			1955	0.16		
			1816	0.21		
			1815	0.12		
			1760	0.30		
			1921	0.78		
			1952	0.24		
			1819	0.40		
			1820	0.10		
			1810	0.20		
			1974	0.20		
			1979/1	1.50		
			1979/2	1.70		
			1978	0.12		
		योग	40	19.54		

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 15/अ. 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	चीचा प. ह. नं. 72/15	621	0.19	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास हेतु रोड क्रमांक – 02.
			623	0.87		
			650	1.00		
			764	0.56		
			766	0.15		
			768	0.06		
			770	0.04		
			892	0.03		
			893	0.10		
			993	0.27		
			956	0.21		
			957	0.45		
		योग	**12**	**3.93**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	केरावाही प. ह. नं. 13	3.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	केरावाही जलाशय में मुख्य नहर नाली निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कोण्डागांव, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	केरावाही प. ह. नं. 13	3.312	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	केरावाही जलाशय में उलट नाली निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कोण्डागांव, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	सातगांव प. ह. नं. 16	0.486	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	केरावाही जलाशय में मुख्य नहर नाली निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कोण्डागांव, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	मडानार प. ह. नं. 25	0.534	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परि. क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. स. यो., जगदलपुर.	प्र.मं.ग्रा.स.यो. अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. सड़क यो., जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	सोनाबाल प. ह. नं. 25	0.012	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परि. क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. स. यो., जगदलपुर.	प्र.मं.ग्रा.स.यो. अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. सड़क यो., जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़ेकनेरा प. ह. नं. 27	0.033	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परि. क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. स. यो., जगदलपुर.	प्र.मं.ग्रा.स.यो. अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. सड़क यो., जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	करनपुर प. ह. नं. 26	0.704	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परि. क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. स. यो., जगदलपुर.	प्र.मं.ग्रा.स.यो. अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्र. मं. ग्रा. सड़क यो., जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/31/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	मालगांव प. ह. नं. 46	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग, जगदलपुर.	आसना बजावंड सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/32/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	उलनार प. ह. नं. 50	0.52	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग, जगदलपुर.	आसना बजावंड सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	केशकाल	धनोरा प. ह. नं. 3	1.213	पुलिस अधीक्षक जगदलपुर, बस्तर जिला.	ग्राम धनोरा में पुलिस थाना परिसर एवं परेड ग्राउण्ड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 19 जनवरी 2009

क्रमांक/11/भू-अर्जन/अविअ./01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-पिथौरा
(ग) नगर/ग्राम-सांकरा, प. ह. नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
419	0.30
425	0.46
427	0.28
योग	1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सांकरा से झगरनेडीह सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 19 जनवरी 2009

क्रमांक/13/भू-अर्जन/अविअ./02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े टेमरी, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	617	0.09
	618	0.10
	624	0.07
	639	0.09
	632	0.03
	630	0.15
	633	0.03
योग		0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सांकरा से झगरनेडीह सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 2 फरवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुड़केलखजरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1009/1	0.032
	1022	0.113
	1007	0.012
	1008	0.020
	1006	0.065
योग	05	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शेखरपुर-खजरी सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2009

क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बिरगहनी, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.69 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1	1.46
2/1	0.08
37/1	0.15
38/1	1.20
32	0.12
31	0.04
15/4	0.57
25/4, 33/4, 34/1 घ	1.37
34/1 ग	0.04
25/1, 33/1, 34/1 क	0.64
24/1 क, 24/1 ख	0.72
23/1	0.81
15/1	0.60
15/3	0.50
86/3	0.57
86/7	0.15
66/9	0.15
69/3	0.11
66/3	0.14
66/7	0.07
58/14	0.18
58/8	0.26
58/9	0.20
58/15	0.22
58/6	0.06
58/17, 58/18	0.02
63/3	0.32
योग 27	10.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तोताकापा रहननाला व्यपवर्तन योजना के (फीडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्रमांक/179/अ-82/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-सिब्दी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5/5	1.32

(1)	(2)
5/1	0.01
5/6	0.40
योग 3	1.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाठ परियोजना के अन्तर्गत बुढेना डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्रमांक/182/अ-82/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-ठाकुराईनटोला, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
283	0.01
293/1	0.01
297	0.01
292	0.01
296	0.01
योग 5	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाटन मोतीपुर खारून नदी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्रमांक/185/अ-82/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-सिकोला, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
329	0.04
332	0.02
333/2	0.02
331	0.02
333/1	0.06
334/2	0.02
330	0.02
334/1	0.02
335	0.02
योग 9	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी) एवं सहायक आयुक्त आबकारी, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2008/113.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अतः उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा. मा. क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
1.	3/बी/96 2002-03	श्री विरेन्द्र सिंह वल्द प्रीतम सिंह ठाकुर निवासी-चिंचोला, राजनांदगांव.	पी. एस. 2 गोलबाजार, रायपुर	2002-2003	8,80,000/-

वाय. मेश्राम,
अति. तहसीलदार (आबकारी) एवं
सहायक आयुक्त आबकारी.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

क्र. 25/चार/वि. स. चु./2008/338.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का निर्देश संख्या 3/4/2008/JS-II/SDR, दिनांक 06 फरवरी, 2009 में जारी आदेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

गौरव द्विवेदी,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 6th February, 2009

No. 3/4/2008/JS-II/SDR.—In pursuance of the sub-rules (1) and (3) of Rule 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and in supersession of its direction S. O. No. 2/87, dated 17th July, 1987 the Election Commission of India hereby directs that at an election in a parliamentary Constituency specified in column 2 of the Table below, the list of contesting candidates shall be prepared in Form 7A in the languages specified against that constitutency in column 3 of the said Table, and that where the list is prepared in more than one language, the name of candidates shall be arranged alphabetically according to the script of the language first specified in the said column.

When any such list is forwarded to the Election Commission it shall, if not in English, be accompanied by a translation in English.

TABLE

State/Union Territory (1)	Parliamentary Constituency (2)	Language/Languages (3)
1. Andhra Pradesh	(a) 1-Adilabad (ST) 5-Zahirabad	Telugu and Marathi
	(b) 4-Nizamabad 7-Malkajgiri 8-Secunderabad 9-Hyderabad	Telugu, English and Urdu
	(c) All other Parliamentary Constituencies	Telugu
2. Arunachal Pradesh	All Parliamentary Constituencies	English
3. Assam	(a) 1-Karimganj (SC) 2-Silchar	Bengali
	(b) 3-Authonomous District (ST)	Assamese and English
	(c) All other Parliamentary Constituencies	Assamese
4. Bihar	All Parliamentary Constituencies	Hindi
5. Chhattisgarh	All Parliamentary Constituencies	Hindi
6. Goa	All Parliamentary Constituencies	Konkani in Devnagari script, Marathi and English.
7. Gujarat	All Parliamentary Constituencies	Gujarati
8. Haryana	All Parliamentary Constituencies	Hindi
9. Himachal Pradesh	All Parliamentary Constituencies	Hindi
10. Jammu & Kashmir	(a) 5-Udhampur 6-Jammu	Urdu and Hindi
	(b) All other Parliamentary Constituencies	Urdu
11. Jharkhand	All Parliamentary Constituencies	Hindi
12. Karnataka	(a) 1. Chikkodi 2. Belgaum 7. Bidar 12. Uttara Kannada	Kannada and Marathi
	(b) 23. Bangalore (Rural) 24. Bangalore North 25. Bangalore Central 26. Bangalore South 28. Kolar (SC)	Kannada and English
	(C) All other Parliamentary Constituencies	Kannada

(1)	(2)	(3)
13. Kerala	(a) 1-Kasaragod	Malayalam and Kannada
	(b) 14-Idukki	Malayalam and Tamil
	(c) All other Parliamentary Constituencies	Malayalam
14. Madhya Pradesh	(a) 19-Bhopal	Hindi and Urdu
	(b) All other Parliamentary Constituencies	Hindi
15. Maharashtra	(a) 10-Nagpur 25-Thane 26-Mumbai North 27-Mumbai North-West 28-Mumbai North-East 29-Mumbai North-Central 30-Mumbai South-Central 31-Mumbai South 34-Pune	Marathi and English
	(b) All other Parliamentary Constituency	Marathi
16. Manipur	(a) 1-Inner Manipur	Manipuri
	(b) 2-Outer Manipur (ST)	Manipuri and English
17. Meghalaya	All Parliamentary Constituencies	English
18. Mizoram	Entire Parliamentary Constituency	English
19. Nagaland	Entire Parliamentary Constituency	English
20. Orissa	All Parliamentary Constituencies	Oriya
21. Punjab	(a) 1-Gurudaspur 2-Amritsar 4-Jullundur 6-Hoshiarpur 8-Patiala 9-Ludhiana 13-Ferozepur	Punjabi and Hindi
	(b) All other Parliamentary Constituencies	Punjabi
22. Rajasthan	All Parliamentary Constituencies	Hindi
23. Sikkim	Entire Parliamentary Constituency	English
24. Tamil Nadu	(a) 2-Chennai North 3-Chennai South 4-Chennai Central	Tamil and English
	(b) 7-Arakkonam	Tamil and Telugu
	(c) 9-Krishnagiri	Tamil, Telugu and Kannada

(1)	(2)	(3)
	(d) 19-The Nilgiris (SC) 39-Kanniyakumari	Tamil and Malayalam
	(e) All other Parliamentary Constituencies	Tamil
25. Tripura	All Parliamentary Constituencies	Bengali
26. Uttar Pradesh	(a) 1-Saharanpur 4-Bijnor 5-Nagina (SC) 6-Moradabad 7-Rampur 8-Sambhal 9-Amroha 10-Meerut	Hindi and Urdu
	(b) All other Parliamentary Constituencies	Hindi
27. Uttarakhand	All Parliamentary Constituencies	Hindi
28-West Bengal	(a) 4-Darjeeling	Bengali and Nepali
	(b) 5-Raiganj	Bengali and Hindi
	(c) 17-Barasat 21-Diamond Harbour 34-Medinipur	Bengali and English
	(d) 23-Kolkata Dakshin 24-Kolkata Uttar	English
	(e) All other Parliamentary Constituencies	Bengali
29. Andaman & Nicobar Island.	Entire Parliamentary Constituency	Hindi and English
30. Chandigarh	Entire Parliamentary Constituency	Hindi and Punjabi
31. Dadra & Nagar Haveli	Entire Parliamentary Constituency	Gujarati, Marathi and English
32. Daman & Diu	Entire Parliamentary Constituency	Gujarati
33. NCT of Delhi	All Parliamentary Constituencies	Hindi and English
34. Lakshadweep	Entire Parliamentary Constituency	Malayalam
35. Puducherry	Entire Parliamentary Constituency	Tamil, Telugu and Malayam

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.